

cpr l g jkgr ; kt uk

mnns'; %

बन्द ऋतु अवधि में मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

iko/ku%

चयनित हितग्राहियों को वर्ष के कार्य दिवस के नौ माहों में रुपये 50 प्रति सदस्य माह प्रति सदस्य के मान से बचत राशि डाकघर/ ग्रामीण बैंक में जमा करना होगी। इस प्रकार नौ माह में कुल जमा राशि रुपये 450/- शासन से देय समतुल्य राशि रुपये 450/- सम्मिलित कर कुल देय रुपये 900/- का भुगतान बंद ऋतु के तीन माहों में रुपये 300/-के मान से हितग्राही को दिये जाने का प्रावधान है।

dkh ytk ys l drk g%

पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य।

; kt uk dk ytk d s sy % t s %

1- *fdl l sl a dZdj &*

कार्यालय स.सं.म. डिण्डौरी संयुक्त कलेक्ट्रेड भवन ऊपरी तल।

2- *vlonu ik i dgkalsitr dj &*

कार्यालय सहायक मत्स्योद्योग जिला-डिण्डौरी।

3- *vlonu djus dk rjhd%*

माह सितम्बर से माह मई तक बचत खाता में राशि जमा करने के अभिलेखों के साथ आवेदक कार्यालय सहायक मत्स्योद्योग डिण्डौरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4- *vlo'; d nLrlox %*

1. आवेदन पत्र।
2. पास बुक की छायाप्रति।
3. प्रस्ताव ठहराव।
4. सदस्यों की सूची।
5. पंजीयन प्रमाण पत्र।

*l gk d l pkyd eR; ks/ ks
ft yk&M Msh*